राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ.2(क)पदोन्नति/अलेस–I/2018 /820 दिनांक 06/12/2018

आदेश संख्या253/2018–19

विभाग के आदेश संख्या एफ3(ख)पी–498/1986/अलेसे–II/19090–19097 दिनांक 10.07.2015 के द्वारा श्री प्रहलाद सिंह शेखावत, तत्कालीन खण्डीय लेखाकार (सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II) कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जिला खण्ड–II, जयपुर को रिश्वत लेने के प्रकरण में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, ने दिंनाक 6.7.2015 को ट्रेप करने के कारण दिनांक 6.7.2015 से न्यायिक अभिरक्षा में होने के फलस्वरूप दिंनाक 6.7.2015 से निलम्बित किया गया था ।

श्री प्रहलाद सिंह शेखावत, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II को विभाग के आदेश संख्या एफ–2(ग)(1)अलेसे–I/5051–5260 दिंनाक 26.6.2015 के द्वारा विभागीय पदोन्नति समिति की वर्ष 2015–16 की रिक्तियों के विरूद्ध दिंनाक 1.4.2015 से पदोन्नत कर सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I के पद पर वित्त(राजस्व) विभाग के पत्र कंमाक प.2(5)वित्त/राजस्व/15 दिंनाक 25.6.2015 की स्वीकृति के अनुसार पदोन्नति के फलस्वरूप अपने वर्तमान पदों पर इन पदों को अस्थाई रूप से यथा आवश्यकतानुसार सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I के पद को क्रमोन्नत कर कार्यग्रहण करने हेतु निर्देशित किया गया था लेकिन विभागीय अभिलेखों में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार श्री प्रहलाद सिंह शेखावत, खण्डीय लेखाकार (सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II) की पदोन्नति के उपरान्त यथा क्रमोन्नत सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I के पद पर कार्यग्रहण की सूचना उपलब्ध नहीं/प्राप्त नहीं हुई है।

दिंनाक 26.09.2018 को शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग की अध्यक्षता में निलम्बन से बहाली के प्रकरणों के पुनर्विलोकन हेतु आयोजित मीटिंग की कार्यवाही विवरण पत्र कंमाक प.2(3)वित्त/राजस्व/2014 दिंनाक 28.9.2018 के अनुसार अब श्री प्रहलाद सिंह शेखावत, निलम्बित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II को निलम्बन से बहाल करने का निर्णय लिये जाने के बाद श्री प्रहलाद सिंह शेखावत, निलम्बित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II ने आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उन द्वारा उनके निलम्बन से पूर्व ही आदेश दिंनाक 26.6.2015 की पालना में सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I के यथा क्रमोन्नत सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I के पद पर दिंनाक 01.07.2015 को कार्यग्रहण कर लिया गया था। इसके प्रमाण में सयुंक्त निदेशक (प्रशासन) कार्यालय हाजा के यू.ओ. नोट कंमाक 6280 कंमाक 11.10.2018 के द्वारा श्री प्रहलाद सिंह शेखावत की सेवापुस्तिका के सम्बन्धित पृष्ठ की अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जिला खण्ड–II, जयपुर द्वारा सत्यापित/प्रमाणित सेवापुस्तिका की फोटोप्रति के आधार पर दिंनाक 01.07.2015 को सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I पद कार्यग्रहण को स्वीकार किया जाता है । अतः निलम्बन से बहाली के प्रकरणों हेतु आयोजित मीटिंग दिंनाक 26.09.2018 में लिये गये निर्णय की पालना में, श्री प्रहलाद सिंह शेखावत, निलम्बित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II, को तुरन्त प्रभाव से निलम्बन से बहाल किया जाता है। श्री शेखावत के पदस्थापन के आदेश पृथक से जारी किये जाएँगे। पदस्थापन के आदेशों की प्रतीक्षा में श्री शेखावत का मुख्यालय इस निदेशालय में रहेगा।

श्री शेखावत के निलम्बन अवधि का निर्णय माननीय न्यायालय के निर्णय के अध्ययीन होगा।

उक्त आदेश राजस्थान विधानसभा आम चुनाव 2018 के लिए जारी आदर्श चुनाव आचार संहिता के चलते सक्षम अनुमोदन उपरांत जारी किये जाते है।

6/12/18

(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांकः एफ.2(क) पदोन्नति/अलेस–I/2018 /820 दिनांक 06/12/2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. सयुंक्त शासन सचिव, वित्त(राजस्व) विभाग, राजस्थान जयपुर ।
2. सयुंक्त निदेशक (विधि एवं जांच/प्रशासन) कार्यालय हाजा।
3. उप निदेशक (एसीपी) को वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु
4. श्री प्रहलाद सिंह शेखावत, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I
5. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक महोदय।
6. डीपीसी अनुभाग/ एसीआर अनुभाग
7. रक्षित पत्रावली ।